2015 का विधेयक संख्यांक 335

[दि सुगर सेस (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015

चीनी उपकर अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अधिनियम की धारा 3 का संशोधन ।

1982 का 3

2. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (1) में, "पच्चीस रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चीनी उपकर अधिनियम, 1982 केंद्रीय सरकार को चीनी विकास निधि के प्रयोजनों के लिए उत्पाद-शुल्क के शुल्क के रूप में उपकर उद्गृहीत और संगृहीत करने के लिए समर्थ बनाता है । उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन चीनी पर संगृहीत उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त किया जाता है । उपकर की दर राजपत्र में अधिसूचित की जाती है और चीनी उपकर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन होती है । वर्तमान में विनिर्दिष्ट सीमा पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल चीनी है और उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण चौबीस रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाता है । चीनी उपकर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत चीनी उपकर के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं और तत्पश्चात् पुनर्विनियोग की बजट प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विकास निधि (एसडीएफ) को अंतरित किए जाते हैं ।

2. ईख देयों के बकाया के समापन को सुकर बनाने के लिए किए गए विभिन्न मध्यक्षेपों, जैसे ब्याज में आर्थिक सहायता पर आधारित सुलभ ऋण, निर्यात प्रोत्साहन और उत्पादन सहायता के कारण प्रतिबद्ध व्यय, उपकर से चीनी विकास निधि में प्रोद्भवन की वृद्धि के लिए आवश्यक हो जाता है । इसलिए उपकर की दर में वृद्धि की आवश्यकता, कृषकों को देय ईख के समय पर संदाय को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते हुए दायित्वों और वित्तीय मध्यक्षेपों की पूर्ति के लिए है । तदनुसार, उपकर की वर्तमान अधिकतम सीमा को पच्चीस रुपए से बढ़ाकर दो सौ रुपए प्रति क्विंटल चीनी करने का प्रस्ताव है ।

3. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
7 दिसंबर, 2015.

रामविलास पासवान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, उपकर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पच्चीस रुपए से दो सौ रुपए प्रति क्विंटल चीनी करने हेतु, चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है । चूंकि विधेयक में उस अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिस पर उपकर उद्‌गृहीत किया जाना है, इसलिए इसमें भारत की संचित निधि से वित्तीय विवक्षाएं अंतर्वलित हैं । विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

चीनी उपकर अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

* * * * *

उपकर का अधिरोपण ।

3. (1) भारत में किसी भी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित सब चीनी पर, चीनी विकास-निधि अधिनियम, 1982 के प्रयोजनों के लिए, उपकर के रूप में, पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल चीनी से अनधिक ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा : 1982 का 4

परंतु जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी दर विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, तब तक चौदह रुपए प्रति क्विंटल चीनी की दर से उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—3495LS(CRC)—09-12-2015.

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति
4	8-10 का लोप करें ।